प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 02.02.2026

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा थाना खोडा पर पंजीकृत दोहरी हत्याकांड के अभियोग में 02 वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे, 03 जिंदा कारतूस, 03 खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस मुठभेड/गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांकः 02.02.026 को अंडरपास इंदिरापुरम चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना खोडा से दोहरी हत्याकांड मे वान्छित दो अपराधी किसी अन्य घटना को अंजाम देने कि फिराक में थाना क्षेत्र खोडा में घूम रहे है। सूचना पर हम पुलिस बल चैकिंग करने लगे। दौराने चैकिंग 02 व्यक्ति मोटरसाइकिल से इंदिरापुरम की तरफ से आते दिखायी दिये जिनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस चैकिंग व पुलिस टीम से घिरता देख वे व्यक्ति मोटरसाइकिल को तेज गति से मोड़कर पीछे की तरफ भागने लगे। मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई गयी। जिसके बाद वे व्यक्ति नहर की तरफ की तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से हाथ में लिये असलाहो से पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। आत्मरक्षार्थ जबाबी कार्यवाही में पुलिस मुठभेड़ में भाग रहे दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गये। जिन्हे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना खोडा पर मुकदमा अपराध संख्या 47/26 191(2)/191(3)/190/109(1)103(1)BNS 2023 पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण

दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 30.01.2026 को अंबेडकर गेट के पास दो व्यक्तियों की हत्या तथा एक को घायल कर दिया था। गिरफ्तार शुदा दोनों अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. राजन पुत्र महेश चंद निवासी ग्राम रसूलपुर जिला बदायूं हाल पता खोड़ा गाजियाबाद।

2. सचिन पुत्र बनवारी निवासी ग्राम रसूलपुर टप्पा थाना जिला बदायूं हाल पता खोड़ा गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

02 तमंचे, 03 जिंदा कारतूस, 03 खोखा कारतूस, चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खोड़ा पर हत्या के सम्बन्ध में एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1008 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 02.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त विकाश शर्मा उर्फ लीली पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी सोंदा रोड, देवनगर, गली नं0 1, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1008 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे यह गांजा मेरठ से लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

विकाश शर्मा उर्फ लीली पुत्र राजेन्द्र शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी सौंदा रोड, देवनगर, गली नं0 1, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कुल 1008 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उक्त गांजा तस्करी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग तथा पूर्व से एनडीपीएस एक्ट व आबकारी अधिनियम के कुल 04 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग- 05)**। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

स्वॉट/सर्विलांस टीम व थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दोहरी हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 चाकू, 02 अवैध तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 02.02.2026 को स्वॉट/सर्विलांस टीम व थाना खोड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पूर्व में घटित दोहरी हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. राजन पुत्र महेश चन्द निवासी ग्राम रसूलपुर जिला बदाँयू उम्र करीब 20 वर्ष व 2. सचिन पुत्र बनवारी लाल जाटव निवासी ग्राम रसूलपुर टप्पा मलसाइ जिला बदाँयू उम्र करीब 21 वर्ष पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन्दिरापुरम अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद व 02 बाल अपचारी स्वॉट/सर्विलांस टीम व थाना खोड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान इतवार पुश्ते से पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनकी निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 02 चाकू बरामद। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 103(1), 317(2), 317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 02 बाल अपचारी के विरुद्ध धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों व हिरासत में लिये गये 02 बाल अपचारी से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग (दोनों बाल अपचारी) अम्बेडकर गेट के पास वैष्णों होटल पर काम करते हैं। दिनांक 30.01.2026 की रात्रि को करीब 10 बजे तीन व्यक्ति श्रीपाल, सत्यम, अनुराग खाना खाने के लिए होटल पर आये थे तथा खाना माँगने को लेकर होटल पर नागेश से उनकी कहासुनी हो गयी थी, कहासुनी के दौरान उन तीनों व्यक्तियों में से एक ने नागेश के चाँटा मार दिया। जिसके बाद तीनों व्यक्ति पीछे गली में चले गये, जिसके बाद हम लोगों ने योजना बनाकर होटल मालिक के साथ बदला लेने के उद्देश्य से होटल से लाठी-डंडे व खाना बनाने के चाकू लेकर पीछे गली में पहुँचे गये, जिन्हें देखकर हम लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जिससे वो तीनों व्यक्ति लहूलुहान व गंभीर रुप से घायल हो गये और वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी। तीनों व्यक्तियों को हम लोग वहीं

छोड़कर भाग गये और हमें सुबह पता चला कि उन तीन व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है एवं तीसरा व्यक्ति भी गंभीर रुप से घायल है तथा राजन व सचिन ने बरामद मोटर साइकिल को दिल्ली से करीब 04 महीने पहले चोरी किया था ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. राजन पुत्र महेश चन्द निवासी ग्राम रसूलपुर जिला बदाँयू उम्र करीब 20 वर्ष।
2. सचिन पुत्र बनवारी लाल जाटव निवासी ग्राम रसूलपुर टप्पा मलसाइ जिला बदाँयू उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खोडा पर हत्या व पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में 02 अभियोग व चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- हिरासत में लिये गये 02 बाल अपचारी के विरुद्ध थाना खोडा पर हत्या के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त 02 चाकू, 02 अवैध तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस, 03 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

स्वॉट/सर्विलांस टीम व थाना खोडा पुलिस टीम।